



कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका।
पत्रांक 663 (DPMU)

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका।

सेवा में,

सचिव,
National Minority Development & charitable Trust
Ranchi.

दुमका, दिनांक 27.01.18 /

विषय :— प्रस्तावित पारामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु व्यवहारिक प्राशिक्षण के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र 502 दिनांक 10.11.2017 के आलोक में कहना है प्रस्तावित "Institute of medical and Tecnological Science" प्रारंभ करने हेतु आपके संस्थान के प्रशिक्षणथियों को सदर अस्पताल दुमका में व्यवहारिक प्राशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद से स्वीकृति के प्रत्याशा में दी जाती है। कार्य किया जाना है।

किसी करणवश आपके प्रस्तावित "Institute of medical and Tecnological Science" का मान्यता प्राप्त नहीं होता है तो यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका।

27/1/18